

Cost of Tender Form: Rs. 590.00 (Including GST)

E.M.D.: Rs. 10,000.00

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY

Behind Transport Nagar, Vishwavidyalay Marg, Teenpani Haldwani, Nainital-263139

Phone No. – 1800 180 4025


अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु
सेवा प्रदाता फर्म का चयन संबन्धी निविदा
वर्ष - 2020-21

पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि	23.03-----2020 (सोमवार) समय अपराहन 5.00 तक
निविदा खोलने की तिथि	24.03-----2020 (मंगलवार) समय पूर्वाहन 11.00 तक
स्थान	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल के सभागार में

नोट:-

निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे जमा किये गये टेंडर फार्म के दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास रिकार्ड के लिये अवश्य रखें।

20/20




अध्ययन सामग्रियों को सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रेषण किये जाने संबंधी निविदा

शर्तें एवं प्रारूप


दिनांक 22.03.2020

- 1 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की अध्ययन सामग्री आदि को विभिन्न अध्ययन केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों आदि स्थानों में भेजने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है ।
- 2 एक वर्ष में लगभग आठ हजार कुन्तल पाठ्य सामग्री को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों/अन्य स्थानों में भेजा जाना प्रस्तावित है ।
- 3 निविदा फार्म का मूल्य रू0 590.00 (रू0 पाँच सौ नब्बे मात्र) जी0एस0टी0 सहित की रसीद निविदा प्रपत्र के तकनीकि बिड वाले लिफाफे में संलग्न करनी आवश्यक होगी । यदि निविदा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट से निकाला गया हो तो इसकी मूल्य राशि रू0 590.00 (रू0 पाँच सौ नब्बे मात्र) सहित का डी0डी0 वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नाम से तैयार कर निविदा फार्म के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। बिना रसीद अथवा डी0डी0 के निविदा प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 4 फर्म द्वारा रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की धरोहर राशि का डी0डी0 जो वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनी हो तकनीकि निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 5 जिस फर्म की निविदाये अस्वीकृत हो जायेगी उससे सम्बन्धित धरोहर राशि एक माह के भीतर संबंधित फर्म को वापस कर दी जायेगी।
- 6 पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र को दिनांक 23.03.2020 तक कार्यालय समय सायं 05:00 बजे अथवा इससे पूर्व पंजीकृत



पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्राप्त कराना आवश्यक होगा। बिलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

- 7 निविदा दिनांक 24.03.2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे खोली जायेगी। फर्म के प्रतिनिधि इस दौरान वैध परिचय पत्र व प्राधिकार पत्र के साथ उपस्थित रह सकते हैं।
- 8 अपूर्ण एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 9 फर्म द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरें अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।
- 10 जोब सिक्योरिटी हेतु रू० पचास हजार मात्र वित नियंत्रक उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के नाम डी०डी० के माध्यम से अनुबंध करते समय जमा करना होगा।
- 11 फर्म के मध्य अनुबंध एक वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी होगा परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा आपसी सहमति के आधार पर अनुबंध की अवधि को विस्तारित भी किया जा सकता है किन्तु अनुबंध की दरों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 12 उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (प्रथम पक्ष) के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं एवं अन्य जगहों जो अध्ययन सामग्री या अन्य कोई वस्तु प्रेषण हेतु प्राप्त होती है को सेवा प्रदाता (द्वितीय पक्ष) द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बताये गये गंतव्य स्थल पर प्राप्त करवा दिया जाना सुनिश्चित करना होगा और उसकी प्राप्ति रसीद मुहर सहित विश्वविद्यालय के एम०पी०डी०डी० अनुभाग में बीजक के साथ प्रस्तुत करेगा।
- 13 नियत समय सीमा के पश्चात वितरित की गयी सामग्री पर बीजक में पाँच प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- 14 यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा गंतव्य तक अध्ययन सामग्री नहीं पहुँचा पाने की दशा में अप्राप्त अध्ययन सामग्री को विश्वविद्यालय तक वापस लाने की व्यवस्था अपने स्रोत से करनी होगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।



(3)



15 भेजी गई अध्ययन सामग्री यदि किसी कारणवश प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचती है और न ही विश्वविद्यालय को वापस मिलती है तो ऐसी स्थिति में अध्ययन सामग्री के कुल मुल्य के बराबर की राशि जो प्रोग्राम फीस का बीस प्रतिशत होगी अथवा जो जुर्माना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जाएगा ।

16 द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध के बिंदुओं में किसी एक अथवा अनेक शर्तों का पालन कही करता अथवा भेजी गई सामग्रियाँ बार-बार समय से गंतव्य पर नहीं पहुँचा पाता है तो वह अनुबंध की शर्त भंग करने का दोषी होगा तथा इस स्थिति में:-

- द्वितीय पक्ष का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है ।
- अथवा विश्वविद्यालय के विवेक पर पाँच प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है जो द्वितीय पक्ष को जमा करना होगा अथवा सेवा प्रदाता फर्म द्वारा जमा की गयी जमानत राशि से बिना किसी सूचना के जुर्माना राशि को समायोजित किया जा सकता है ।
- तथा फर्म का नाम काली सूची (BLACK-LIST) में डाला जा सकता है ।
- त्रुटिपूर्ण डिलीवरी होने पर पुनः डिलीवरी करनी आवश्यक होगी तथा इसका व्यय-भार का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा ।


17 द्वितीय पक्ष का कोई कार्मिक विश्वविद्यालय के हितों के विपरीत कार्य करता है या उसके कृत्यों से विश्वविद्यालय को क्षति पहुँचती है तो प्रथम पक्ष द्वारा सूचित करने पर उस व्यक्ति को कार्यों से अविलम्ब विरत करते हुए तुरन्त नयी व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी ।

18 निविदादाता टेक्नीकल बिड एवं वित्तीय बिड को अलग-अलग लिफाफे में सीलबन्द कर दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रख कर पुनः

सीलबन्द कर पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को अन्तिम तारीख तक प्रेषित करेगा।

- 19 मुख्य लिफाफे, तकनीकी बिड लिफाफे तथा वित्तीय बिड लिफाफे के उपर अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन संबधी निविदा लिखा जाना अनिवार्य है तथा समस्थ लिफाफों के बायी ओर फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर लिखना आवश्यक है।
- 20 तकनीकी बिड लिफाफे में चाहे गये दस्तावेज एवं विश्वविद्यालय भुगतान रसीद/ डी0डी0 क्रमवार लगाकर संलग्न करने आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- 21 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वित्तीय बिड प्रारूप में दरें भर कर बिना ओवरराईटिंग के प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी। यदि ओवरराईटिंग हो तो उसे संबधित फर्म के प्राधिकृत के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक होगा।
- 22 कम से कम तीन निविदाये प्राप्त होने पर ही निविदाये खोली जायेंगी। तीन से कम निविदा प्राप्त होने की दशा में निविदा हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निविदा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- 23 अध्ययन सामग्री प्रेषण हेतु सेवा प्रदाता फर्मों का न्यूनतम दर के आधार पर सूचीकरण किया जायेगा। जो भी फर्म न्यूनतम दर पर कार्य करने की इच्छुक होगी उनको तत्काल पृथक से न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु अपना लिखित अभिकथन समिति को प्रस्तुत करना होगा।
- 24 L-1 सेवा प्रदाता फर्म यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में L-2 सेवा प्रदाता फर्म को L-1 दरों पर कार्य करने हेतु आमंत्रण दिया जा सकता है।
- 25 जिस भी फर्म के साथ अनुबंध किया जायेगा उसके द्वारा निविदा को वापस लेने अथवा निविदा की शर्तों के उल्लघन करने की दशा में विश्वविद्यालय के पक्ष में रखी गयी धरोहर राशि को

- जब्त कर लिया जायेगा जिस पर किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 26 सेवा प्रदाता फर्म द्वारा संबन्धित अध्ययन सामग्रीयाँ विश्वविद्यालय के एम0पी0डी0डी0 अनुभाग के गोदाम से स्वयं के व्यय पर ले जानी होगी तथा निर्धारित स्थान पर डिलीवर करनी होंगी।
 - 27 फर्म का यह भी दायित्व होगा कि वह एम0पी0डी0डी0 अनुभाग से अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर गन्तव्य स्थान जैसे अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र आदि पर अध्ययन सामग्री की प्राप्ति सुनिश्चित करायेगा।
 - 28 सेवा प्रदाता फर्म को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त भविष्य में किसी भी प्रकार की सेवाओं में कमी अथवा किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर फर्म को उसका त्वरित समाधान करना होगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह फर्म पर विधिसम्मत कार्यवाही जैसे—धरोहर राशि जब्त, जुर्माना अथवा काली सूची में डालने जैसी कार्यवाही करें।
 - 29 आयकर/व्यापार कर/जी0एस0टी0/सेवा कर यदि कोई हो तो वे फर्म द्वारा देय होंगे फर्म से अपेक्षा है कि वे दरें भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरें समस्त चार्जेज सहित हों। अनुबंध के हस्ताक्षर के उपरान्त दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
 - 30 विश्वविद्यालय को एक अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 - 31 वित्तीय निविदा पर निर्णय उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा गठित समिति का होगा।
 - 32 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।


 कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
 हल्द्वानी, जिला नैनीताल

On Rs. 100/- Non Judicial Stamp Paper

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT

UNDERTAKING

I / we do hereby declare that our firm is not black listed or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand /Government of India or any State Government / Board / Universities, since inception of the firm / Company, and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong/ incorrect or misleading, our tender/ contract stands to be cancelled/ terminated.

Signature of Authorized Person
Name and seal of the firm
Date:

Sealed in Envelop No- 1

अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन
तकनीकी निविदा प्रपत्र

क्र० स०	विवरण	विवरण एवं (Yes/No)	संलग्नक क्रमोंक
1.	फर्म का नाम		
2.	फर्म का पता	
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि के रूप में ₹0 590.00 (₹0 पाँच सौ नब्बे मात्र) की राशि की विश्वविद्यालय लेखा रसीद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पक्ष में डी0डी0 मूल रूप में संलग्न करें। (Yes/No)	Bank Name DD Number/ UOU Cash Receipt No DD / UOU Receipt Date	
4.	धरोहर राशि के रूप में ₹0 10,000.00 (₹0 दस हजार मात्र) की राशि की विश्वविद्यालय लेखा रसीद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के पक्ष में डी0डी0 मूल रूप में संलग्न करें। (Yes/No)	Bank Name DD Number / UOU Cash Receipt No DD / UOU Receipt Date	
5.	फर्म का स्टेटस संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न (फ्रेंचाइजी/ सोल प्रोपराइटर / कंपनी / पार्टनरशिप फर्म आदि)	(Yes/No)	
6.	फर्म के पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न	(Yes/No)	
7.	फर्म के प्राधिकृत संपर्ककर्ता का नाम		
8.	फर्म का फोन/मोबाईल नंबर		

क्र० स०	विवरण	विवरण एवं (Yes/No)		संलग्नक क्रमोंक
9.	फर्म का ई मेल			
10.	फर्म का जी०एस०टी० पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।	(Yes/No)		
11.	फर्म का किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लेक लिस्ट ना होने सम्बंधी एफिडेविट संलग्न करें।	(Yes/No)		
12.	फर्म के टर्नओवर (रू० दस लाख से कम नहीं) संबंधी सी०ए० की ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें।	वर्ष	टर्नओवर	
		2016-17	Rs.	
		2017-18	Rs.	
		2018-19	Rs.	
13.	इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें।	2016-17		
		2017-18		
		2018-19		
14.	किसी सरकारी विभाग/शासकीय विश्वविद्यालय/शासकीय कालेज के साथ कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र जैसे कार्यादेश चालान की प्रतियाँ/बीजक भुगतान आदि से सम्बंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।	(Yes/No)		

(फर्म प्राधिकृत के हस्ताक्षर)
मुहर

नोट:-

- टेंडर के तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर लिफाफा नं० 1 में रखें और सीलबन्द करें तथा लिफाफे के ऊपर अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन संबंधी तकनीकी निविदा प्रपत्र तथा फर्म का नाम लिखना अनिवार्य है।
- फर्म से तात्पर्य फ्रेंचाइजी/ सोल प्रोपराइटर/ कंपनी/ फर्म / पार्टनरशिप फर्म/ संस्थान से है।

• Sealed in Envelop No- 2

अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन
वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्र० स०	विवरण	संलग्नक क्रमोंक
फर्म का नाम		
फर्म के प्राधिकृत संपर्ककर्ता का नाम		
संपर्ककर्ता का फोन/मोबाईल नंबर		

दरों का विवरण प्रति पैकिंग निम्नानुसार तालिका मे भरें

दरें	1. 000 to 5.000 kg Packing	5.100 to 10.000 kg Packing	10. 000 to 20. 000 Kg Packing	20. 000 to 50. 000 Kg Packing
सेवा क्षेत्र				
उत्तराखण्ड के समस्त पर्वतीय जिले				
उत्तराखण्ड के मैदानी जिले				
क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के 100 कि०मी० के अन्तर्गत आने वाले अध्ययन केन्द्र				

(फर्म प्राधिकृत के हस्ताक्षर)

मुहर

नोट:-

- टेंडर के वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें अंकित कर लिफाफा नं० 2 में रखें और सीलबन्द करें तथा लिफाफे के ऊपर अध्ययन सामग्रियों को प्रेषित करने हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन संबंधी वित्तीय निविदा प्रपत्र तथा फर्म का नाम लिखना अनिवार्य है ।